

राजस्थान सरकार

जरिये वेबसाईट एवं ई मेल

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एडीसी (एन.ओ.) / एस.एस. / एन.डी.पी.एस. / 2015 / 44

दिनांक 10/08/15

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,

राजस्थान

विषय: स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी (NDPS) पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिये औषधि विक्रेताओं के क्रय विक्रय विवरण / नियमानुसार कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ: श्रीमान औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक डीसी / एन.डी.पी.एस. / ए 2 / 2015 / 435 दिनांक 30.07.2015 व नोडल अधिकारी जयपुर के पत्र क्रमांक एडीसी (एन.ओ.) / एस.एस. / एन.डी.पी.एस. / 2015 / 16 दिनांक 31.07.2015 की निरंतरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश / पत्र की निरंतरता में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिये औषधि विक्रेताओं के क्रय विक्रय विवरण / नियमानुसार कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि में आपके स्तर से मुख्यालय में प्राप्त होते रहेंगे, जिससे सूचना को ईकजाई कर पालना रिपोर्ट श्रीमान को प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके। इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।

1. पूर्व में प्रदर्शित तालिका के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार जिले में स्थित केवल सी एण्ड एफ / डिपो की सूचना प्राप्त कर संकलित कर भिजवायें। (FORMET-1)
2. औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश देते हुये यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वर्तमान जिन औषधि विक्रेताओं के निरीक्षण किये जावें, उन सभी निरीक्षणों में एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग होने की जांच कर निरीक्षण रिपोर्ट में अंकन किया जावे एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावे। यदि इन औषधियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जा रहा है तो यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि फर्म द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी (NDPS) औषधियों का क्रय विक्रय नियमानुसार किया जा रहा है एवं दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में पाक्षिक रिपोर्ट मुख्यालय में निम्न FORMET-2 में भिजवायी जावें।

1- FORMET-1 (soft copy in excel sheet in times new roman font)

For C&F/Depo

Name of Distt.: -----

Month : -----

Period : 1 TO 15 / 16 TO 30 of every month

Name and add.of firm (details submitted firm)	Name of drug/ active ingredient of NDPS category	Purchase details				Sale details			
		Name and add. of firm	Stock in hand as on 1st / 16 th day of every month	Total Qty. in number (Tab./ Cap.)	Total Qty. in number (Inj. amp/vial // Liquid in bottles)	Name and add. of firm	Total Qty. in number (Tab./ Cap.)	Total Qty. in number (Inj amp/vial// Liquid in bottles)	Stock in hand as on 15th / 30th day of every month.)

P.T.O. →

2- पाक्षिक रिपोर्ट डीसीओ द्वारा किये गये निरीक्षणों के क्रम में।

FORMET-2 (soft copy in excel sheet in times new roman font)

For routine inspection

Name of Distt.: -----
Month : -----

Name of DCO.
Period : 1 TO 15 / 16 TO 30 of every month

S. No.	Name & Add. Of Firm on which contravention on purchase and sale of NDPS formulation found	Total Qty. of NDPS formulation Seized/Freezed if any with Name, B.N., Exp. Dt. and Name of Mfg.	Action taken	Remark (If any)
			Under Drug & Cosmetic Act. For contravention of Sale/Purchase of NDPS formulation found	

यदि सूचना शून्य हो तो भी मुख्यालय में पाक्षिक सूचना भिजवायें।

Dr
10/8/15
नोडल अधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक: एडीसी (एन.ओ.) / एस.एस. / एन.डी.पी.एस. / 2015 / 44

दिनांक: 10/8/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- (1) श्रीमान औषधि नियंत्रक (प्रथम) / (द्वितीय), राजस्थान, जयपुर।
- (2) समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
- (3) प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर निवेदन है कि कृपया इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी राजस्थान को ई मेल करने का श्रम करावें।
- (4) कार्यालय प्रति।

Dr
10/8/15
नोडल अधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक,
मुख्यालय, जयपुर